न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 210/2023

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. मुक्ता रानी पत्नी विपिन कुमार जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केसरीसिंहपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू: 22.06.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--निर्णय-- दिनांक : 22.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के नाम से चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 ता 5 में कुल 0.708 हैक्टेयर रकबा अकृषि श्रेणी वाणिज्य में भू रूपान्तरित किया हुआ है। जिस पर प्रार्थिया ही मौके पर मालिक व काबिज चली आ रही है। मौके पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। प्रार्थिया का पूर्व में उक्त रकबा में व्यावसायिक कार्य करने की इच्छा थी। जिस कारण प्रार्थिया ने उक्त रकबा वाणिज्य श्रेणी में रूपान्तरित करवाया था। परन्तु किसी कारण वश प्रार्थिया ने उक्त रकबा का वाणिज्य श्रेणी में रूपान्तरित करवाने के बाद उपयोग नहीं किया है। मौके पर उक्त रकबा खाली पडा हुआ हैं। प्रार्थिया वर्तमान में उक्त रकबा वाणिज्य श्रेणी से निरस्त करवाना चाहती है। अतः आप से अर्ज है कि प्रार्थिया के उक्त वाणिज्य श्रेणी में भू.रूपान्तरित रकबा को निरस्त करवाने का कष्ट करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 248 दिनांक 13.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 यू के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 ता 5 नगरपालिका हिस्सा 177/316 हिस्सा व मुक्तारानी पत्नी विपिन कुमार 139/316 हिस्सा जाति अग्रवाल साकिन केसरीसिंहपुर कुल रकबा 1.138 हैक्टेयर नहरी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मौके पर किला नम्बर 1 ता 5 (96X795) उतरी दिशा में काश्त की गई है। मौके पर सरसों व बाग की फसल है। उक्त खाते पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केसरीसिंहपुर के पंत्राक 2191 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के पंत्राक 519 दिनांक 18.06.2010 में प्रकरण संख्या 4 अन्तर्गत धारा 90 बी, 65 भू राजस्व अधिनियम 1956 अनवान सरकार बनाम मुक्ता रानी में चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 0.708 हैक्टेयर [illegible] की अनुज्ञा जारी की गई है। जिसमें उपतहसीदार केसरीसिंहपुर को वास्ते नामान्तरण आदेश [illegible] उक्त भूमि जमाबंदी अनुसार नगरपालिका केसरीसिंहपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। [illegible] भूमि पर नगरपालिका द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। मौके पर उक्त भूमि पर काश्त की जा रही है। मुक्ता रानी पत्नी विपिन कुमार के द्वारा अनुज्ञा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 1 ता 5 की कुल 0.709 हैक्टेयर नहरी भूमि की अनुज्ञा निरस्त से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड से नगरपालिका के नाम से इन्तकाल हटवाया जाना है। नगरपालिका केसरीसिंहपुर के नाम से उक्त नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड से हटाने की अभिंशषा की जाती है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थिया, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी केसरीसिंहपुर का अध्ययन किया। प्रार्थिया की बहस को सुनते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested

संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/89 की प्रति, चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 03/03 की प्रति, परची बाराबन्दी गीली सुखी खातेवार 7 रोजा चक 1 यू की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थिया द्वारा चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/89 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज नगरपालिका हिस्सा 177/316 विभागीय के स्थान पर मुक्तारानी पत्नी विपिन कुमार हिस्सा 177/316 दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 यू के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 ता 5 नगरपालिका हिस्सा 177/316 हिस्सा व मुक्तारानी पत्नी विपिन कुमार 139/316 हिस्सा जाति अग्रवाल साकिन केसरीसिंहपुर कुल रकबा 1.138 हैक्टेयर नहरी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मौके पर किला नम्बर 1 ता 5 (96X795) उत्तरी दिशा में काश्त की गई है। मौके पर सरसों व बाग की फसल है। उक्त खाते पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केसरीसिंहपुर के पत्रांक 2191 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के पत्रांक 519 दिनांक 18.06.2010 में प्रकरण संख्या 4 अन्तर्गत धारा 90 बी, 65 भू राजस्व अधिनियम 1956 अनवान सरकार बनाम मुक्ता रानी में चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 0.708 हैक्टेयर नहरी भूमि की अनुज्ञा जारी की गई है। जिसमें उपतहसीदार केसरीसिंहपुर को वास्ते नामान्तरण आदेश दिए गए थे। उक्त भूमि जमाबंदी अनुसार नगरपालिका केसरीसिंहपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर नगरपालिका द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। मौके पर उक्त भूमि पर काश्त की जा रही है। मुक्ता रानी पत्नी विपिन कुमार के द्वारा अनुज्ञा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 1 ता 5 की कुल 0.709 हैक्टेयर नहरी भूमि की अनुज्ञा निरस्त से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड से नगरपालिका के नाम से इन्तकाल हटवाया जाना है। नगरपालिका केसरीसिंहपुर के नाम से उक्त नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड से हटाने की अभिंशषा की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र प्रार्थिया, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केसरीसिंहपुर, प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/89 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज नगरपालिका हिस्सा 177/316 विभागीय के स्थान पर मुक्तारानी पत्नी विपिन कुमार हिस्सा 177/316 दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/रिकॉर्ड रूम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023, ग्राम पंचायत 9 एफ एफ बडोपल में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मुक्ता रानी बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केसरीसिंहपुर आदि
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, मुकदमा नम्बर **210/2023**

निर्णय दिनांक :- 22.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/89 में क्रम संख्या 1 पर दर्ज नगरपालिका हिस्सा 177/316 विभागीय के स्थान पर मुक्तारानी पत्नी विपिन कुमार हिस्सा 177/316 जाति अग्रवाल साकिन केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 22.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 22.06.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/354
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:42:38 IST
Reason: SelfAttested